वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में "क्लस्टर में बागवानी की योजना" के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश

कृषि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – NHM/ BHDS/ 119/ 2024- पी० पी० एम० – 25 दिनांक–15.03.2024 एवं शुद्धि पत्र– NHM/ BHDS/ 119/ 2024- पी०पी०एम०–93 दिनांक–22.07.2024 के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की योजना" दो वर्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 में कुल 458.50 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख पचास हजार) रूपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा उक्त के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में 298.03 लाख (दो करोड़ अन्ठानवे लाख तीन हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का कार्यान्वयन उक्त स्वीकृत्यादेश की अनुसूची–1 एवं 2 के अनुसार किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश निम्नवत् है:–

1. **योजना का मुख्य उद्देश्य**

"क्लस्टर में बागवानी योजना" का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देना है।

2. **योजना से होने वाले लाभ**

इस योजना के कार्यान्वयन से उद्यानिक उत्पाद के फसलोत्तर प्रबंधन एवं बाजार की व्यवस्था में सुविधा होगी। इस योजनान्तर्गत कुल 6000 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

3. **योजना अन्तर्गत स्वीकृत घटक का विवरण**

इस योजना के अधीन अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा फूल, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्राबेरी का चयनित गाँव में 25 एकड़ या उस से अधिक के क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार किया जायेगा। योजनान्तर्गत एक कृषक को न्यूनतम 0.25 एकड़ से अधिकतम 10 एकड़ हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा। एक क्लस्टर में कृषकों द्वारा 25 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में चयनित फसलों का क्षेत्र विस्तार किया जा सकता है, परन्तु एक क्लस्टर में अधिकतम 25 एकड़ के लिये ही सहायतानुदान कृषकों को दिया जायेगा।

4. **योजना से लाभान्वित होने वाले जिले**

इस योजना से लाभान्वित होने वाले जिले– अरवल, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, जमूई, गया, मधेपुरा, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, शिवहर, गोपालगंज, सिवान एवं वैशाली हैं।

5. **योजना हेतु आवेदन का माध्यम**

इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत कृषक/ कृषक समूह/ एफ.पी.ओ./ सहकारी समिति या पंजीकृत संस्था पात्र होंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को डी.बी.टी. पोर्टल पर एवं समूह को पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध "क्लस्टर में बागवानी की योजना" टैब पर Click कर "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद/पारिवारिक भूमी की स्थिति में वंशावली/गैर रैयत हेतु एकरारनामा अपलोड करना अनिवार्य होगा।

- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र तीन साल पूर्व से अद्यतन एवं राजस्व रसीद एक वर्ष पूर्व का होने पर ही योजना का लाभ दिया जायेगा।

(राकेश कुमार

- ऐसे कृषकों का भी चयन किया जा सकता है, जिनके पास पारिवारिक भूमि उपलब्ध हो। पारिवारिक भूमि होने की स्थिति में भूमि से संबंधित वांछित कागजात के साथ वंशावली समर्पित करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
- गेंदा फूल, स्ट्रॉबेरी तथा पपीता के क्षेत्र विस्तार का लाभ गैर रैयत कृषकों को भी दिया जायेगा, जिसके लिए उन्हें एकरारनामा उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा अपलोड की गयी भूमि–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ राजस्व रसीद/एकरारनामा में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा अवेदन रद्द करने का कारण ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज की जायेगी।

6. **लाभुकों का चयन** :– प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ए.टी.एम./बी.टी.एम. के द्वारा अनुशंसित कृषकों का चयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा। लाभुकों का चयन नियमानुसार कोटिवार 78.56 : 20.00 : 1.44 के अनुपात में किया जायेगा। सभी कोटियों में न्यूनतम 30% महिला कृषकों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

7. **आकस्मिकताएँ :–**

इस मद में प्रावधानित राशि संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, उद्यान के आवश्यकता आधारित मांग के आलोक में उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिसका उपयोग उनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन एवं प्रचार–प्रसार पर किया जायेगा।

8. **योजना के कार्यान्वयन एजेन्सी** :– चयनित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान होंगे।

9. **कार्यक्रम हेतु आवश्यक पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता**

योजना के कार्यान्वयन हेतु पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था कृषक द्वारा सहायक निदेशक उद्यान से तकनीकी सलाह प्राप्त कर स्वयं की जा सकेगी।

10. **घटकवार अनुदान का विवरण** :–

क्रमांक	फसल का नाम	अनुदान की राशि (प्रति एकड़)
1	अमरूद, ऑंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता एवं गेंदा फूल	1.00 लाख रूपये
2	ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्राबेरी	2.00 लाख रूपये

- योजनान्तर्गत अमरूद, ऑंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास एवं पपीता के लिए सहायतानुदान की राशि दो किस्तों (65:35) में देय होगी। देय अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिचाई एवं घेराबंदी इत्यादि के साथ–साथ प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक लाभ नही होने के फलस्वरूप सहयोग हेतु राशि भी समाहित है। प्रथम किस्त की राशि 65,000.00 रूपये प्रति एकड़ पौधा लगाने के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् वित्तीय वर्ष 2024–25 में देय होगा। द्वितीय किस्त की राशि 35,000.00 रूपये प्रति एकड़ वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधों का 75 प्रतिशत पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ATM/BTM द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् नियमानुसार देय होगा।
- योजनान्तर्गत ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी के लिए सहायतानुदान की राशि दो वर्षों (65:35) में देय होगी। ड्रैगन फ्रूट के लिए देय अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिचाई एवं घेराबंदी इत्यादि के साथ–साथ प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक लाभ नही होने के फलस्वरूप सह[illegible] हेतु राशि भी समाहित है, जबकि स्ट्रॉबेरी

(राकेश कुमा[illegible])

के लिए देय अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व कीटनाशी, सिंचाई एवं घेराबंदी इत्यादि के लिए राशि समाहित है। ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रथम किस्त की राशि 1,30,000.00 रूपये प्रति एकड़ पौधा लगान के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् वित्तीय वर्ष 2024–25 में देय होगा एवं द्वितीय किस्त की राशि 70,000.00 रूपये प्रति एकड वित्तीय वर्ष 2025–26 अन्तर्गत प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधे का 75 प्रतिशत पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ATM/BTM द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् नियमानुसार देय होगा, जबकि स्ट्रॉबेरी की खेती हेतु प्रथम किस्त की राशि 1,30,000.00 रूपये प्रति एकड़ पौधा लगाने के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् वित्तीय वर्ष 2024–25 में देय होगा एवं द्वितीय किस्त का भुगतान उसी खेत पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में खेती करने पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ATM/BTM द्वारा क्षेत्र के सत्यापन पश्चात् नियमानुसार देय होगा।

- चयनित फसल अन्तर्गत गेंदा फूल के लए सहायतानुदान की राशि दो वर्षों (65:35) में दिया जायेगा। देय अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई एवं घेराबंदी की राशि भी समाहित है। गेंदा फूल का लाभ लेने हेतु कृषकों को दोनों मौसम (रबी एवं गरमा) में इसकी खेती करना अनिवार्य होगा। प्रथम किस्त 65 प्रतिशत की राशि अर्थात 65,000.00 रूपये प्रति एकड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024–25 अन्तर्गत दोनों मौसम (रबी एवं गरमा) में पौधा लगाने के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ATM/BTM द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् देय होगा। द्वितीय किस्त की राशि 35 प्रतिशत अर्थात् 35,000.00 रूपये प्रति एकड़ की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025–26 अन्तर्गत दोनों मौसम (रबी एवं गरमा) में उसी खेत में पौधा लगाने के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ATM/BTM द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् देय होगा। वर्षवार मौसमवार देय अनुदान की राशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	मौसमवार गेंदा फूल की खेती	अनुदान की राशि (रूपये में)	
		2024–25	2025–26
1	रबी	32500	17500
2	गरमा	32500	17500

योजनान्तर्गत न्यूनतम 0.25 एकड़ से अधिकतम 10 एकड़ रकबा हेतु सहायतानुदान दिया जायेगा।

11. पदेन कर्तव्य एवं दायित्व

i. प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/ATM/BTM

- स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार करना।
- चयनित क्लस्टर में इच्छुक कृषकों से Online आवेदन करवाना।
- प्रत्येक दिन प्राप्त Online आवेदन के साथ Upload किया गया कागजात/वर्णित भूमि का सत्यापन कर, अनुशंसा के साथ कार्यादेश निर्गत करने हेतु सहायक निदेशक उद्यान के Login में निर्धारित समय सीमा (आवेदन की तिथि से 7 कार्यदिवस) के अन्दर भेजना।

ii. सहायक निदेशक उद्यान

- योजना का प्रचार–प्रसार उचित माध्यम से कराना।

(राकेश कुमार)

- क्लस्टर के लिए नामित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ए.टी.एम./बी.टी.एम. की साप्ताहिक समीक्षा करना।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी स्तर से अग्रसारित आवेदनों को जाँचोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश निर्गत करना।
- कार्य निष्पादन उपरांत बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं ए.टी.एम./बी.टी.एम. को निदेशित करना।
- योजना के प्रगति का मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को उपलब्ध कराना। साथ ही साथ प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।
- दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

iii. **प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान**

- प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का समीक्षा करना।
- योजना का कार्यान्वयन में सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।

iv. **योजना के नोडल पदाधिकारी**

- योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- योजना के मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।
- योजना का यथाावश्यक भौतिक एवं VC के माध्यम से निरीक्षण करना।

v. **जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला बागवानी विकास समिति**

जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करवायेंगे एवं योजना का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेंगें।

vi. **निदेशक उद्यान**

- राज्य स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।
- योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन देना।

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।